न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 217/2023 अपील (GCMS 2023/224)
पंजीयन दिनांक- 11/09/2023
निर्णय दिनांक- 30/10/2025

1. श्री प्रेम पिता किशना बलाई, निवासी माता का गांव, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
2. श्री प्रभु पिता किशना बलाई, निवासी माता का गांव, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
3. श्रीमती होनी पत्नि किशना बलाई, निवासी माता का गांव, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।

-अपीलांट्स

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता स्व. गिरधारी बलाई, निवासी माता का गांव, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत, नराणा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।

-रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः-

1. श्री लोकेश मेनारिया - अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री रामलाल मेघवाल - अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

अपील अन्तर्गत धारा-76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला राजसमंद के
प्ररकण संख्या 02/2021 निर्णय दिनांक 28.06.2022

<u>निर्णय</u>

दिनांक 30/10/2025

अपीलांट्स द्वारा यह अपील निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला राजसमंद के प्रकरण संख्या 02/2021 निर्णय दिनांक 28.06.2022 के विरूद्ध दिनांक 06.10.2022 को प्रार्थना पत्र धारा 05 मयाद

अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के न्यायालय में पेश की गई। राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान-जयपुर की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 एवं कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांकः- 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़, राजसमंद एवं सलूम्बर के राजस्व प्रकरणों के सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्रदान किये जाने से हस्तगत प्रकरण न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होने से इस न्यायालय में दर्ज किया गया।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला राजसमंद के यहां अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामांतरकरण संख्या 143 निर्णय दिनांक 23.02.1982 व पश्चात्वर्ती नामांतरकरण संख्या 311 दिनांक 10.03.2015 ग्राम पंचायत नराणा के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि ग्राम माता का गांव में उसके दादा नोला की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 29 से 33, आराजी नम्बर 121 से 126 कुल किता 11 रकबा 16 बीघा में रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/4 हिस्सा निहित है एवं आराजी संख्या 34 रकबा 16.04 बीघा, आराजी संख्या 36 रकबा 0.04 बीघा कुल किता 2 रकबा 16.08 बीघा में 1/6 हिस्सा, आराजी संख्या 335/248 रकबा 0.01.15, आराजी संख्या 336/249 रकबा 0.01 कुल किता 2 रकबा 0.02.15 में 1/2 हिस्सा निहित हो उपयोग-उपभोग कर रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के दादा नोला के 2 पुत्र किशना व गिरधारी थे। रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता गिरधारी की मृत्यु उसके दादा के जीवनकाल में ही होने से मृत्यु उपरांत उक्त भूमियों का नामांतरकरण खोला उसमें केवल किशना का ही नाम अंकित कर दिया, जबकि किशना के साथ रेस्पोडेंट संख्या 1 का नाम भी बराबर हिस्से से खुलना था। उपरोक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 02/2021 निर्णय दिनांक 28.06.2022 से रेस्पोडेंट संख्या 1 की अपील

स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, देवगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28.06.2022 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है:- ***"अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, देवगढ़ को इस आशय के साथ रिमांड की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर उसे सुना जाकर नियमानुसार नामांतरकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जावें। निर्णय दिनांक 28.06.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, दवेगढ़ को भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।"***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई हैं।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश मेनारिया उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल मेघवाल उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 16.10.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में मयाद के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया तथा अपने निर्णय में अधिवक्ता रेस्पोडेंट की कोई आपत्ति नहीं होना दर्ज किया किया है, जबकि रेस्पोडेंट वर्तमान अपीलांट्स द्वारा नामांतरकरण सही होना कहा है तथा अपील रेस्पोडेंट संख्या 1 की खारिज करने का निवेदन कर बहस की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तथा केवल मात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 के कथनों को सही मानकर करीब 40 वर्ष पूर्व

खोले गये नामांतरकरण को निरस्त करने का निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरकरण कार्यवाही जो केवल मात्र सरसरी कार्यवाही है, उसमें रेस्पोंडेंट के अधिकार का निर्धारण कर दिया है, जबकि अधिकारों का निर्धारण केवल मात्र नियमित वाद से ही संभव है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.06.2022 को अपास्त किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के दादा नोला की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 29 से 33, आराजी नम्बर 121 से 126 कुल किता 11 रकबा 16 बीघा में रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/4 हिस्सा निहित है एवं आराजी संख्या 34 रकबा 16.04 बीघा, आराजी संख्या 36 रकबा 0.04 बीघा कुल किता 2 रकबा 16.08 बीघा में 1/6 हिस्सा, आराजी संख्या 335/248 रकबा 0.01.15, आराजी संख्या 336/249 रकबा 0.01 कुल किता 2 रकबा 0.02.15 में 1/2 हिस्सा निहित हो उपयोग-उपभोग कर रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के दादा नोला के 2 पुत्र किशना व गिरधारी थे। रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता गिरधारी की मृत्यु उसके दादा के जीवनकाल में ही होने से मृत्यु उपरांत उक्त भूमियों का नामांतरकरण खोला उसमें केवल किशना का ही नाम अंकित कर दिया, जबकि किशना के साथ रेस्पोडेंट संख्या 1 का नाम भी बराबर हिस्से से खोले जाने बाबत अपील पेश की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार उचित निर्णय पारित किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, देवगढ़ को प्रतिप्रेषित किया गया है। अपीलांट को उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित कर जांच उपरांत निर्णय पारित करने बाबत निर्देशित किया गया था तथा नामांतरकरण की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की जानी है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही करनी चाहिए। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.06.2022 की अपील अपीलांट्स द्वारा दिनांक 06.10.2022 को पेश की गयी है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अखण्डित शपथ पत्र के आधार मयाद कण्डोन की जारक अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला राजसमंद के यहां अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामांतरकरण संख्या 143 निर्णय दिनांक 23.02.1982 व पश्चात्वर्ती नामांतरकरण संख्या 311 दिनांक 10.03.2015 ग्राम पंचायत नराणा के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि ग्राम माता का गांव में उसके दादा नोला की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 29 से 33, आराजी नम्बर 121 से 126 कुल किता 11 रकबा 16 बीघा में रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/4 हिस्सा निहित है एवं आराजी संख्या 34 रकबा 16.04 बीघा, आराजी संख्या 36 रकबा 0.04 बीघा कुल किता 2 रकबा 16.08 बीघा में 1/6 हिस्सा, आराजी संख्या 335/248 रकबा 0.01.15, आराजी संख्या 336/249 रकबा 0.01 कुल किता 2 रकबा 0.02.15 में 1/2 हिस्सा निहित हो उपयोग-उपभोग कर रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के दादा नोला के 2 पुत्र किशना व गिरधारी थे। रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता गिरधारी की मृत्यु उसके दादा के जीवनकाल में ही होने से मृत्यु उपरांत उक्त भूमियों का नामांतरकरण खोला उसमें केवल किशना का ही नाम अंकित कर दिया, जबकि किशना के साथ रेस्पोडेंट संख्या 1 का नाम भी बराबर हिस्से से खुलना था। उपरोक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 02/2021 निर्णय दिनांक 28.06.2022 से रेस्पोडेंट संख्या 1 की अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, देवगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाने से अप्रसन्न

होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश की गई।

हस्तगत प्रकरण में दौराने बहस अपीलांट का प्रमुख उज्र यह रहा है कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत धारा 05 मयाद अधिनियम पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गयाः-

मयाद के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबुत होता है तो उसे केवल मयाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये, जिससें यह प्रावधित किया गया है कि-

Limitation Act, 1963, S.5 – Dismissal of Appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case – Legality of – Held, now must be taken as well as settled principle of law that before rejecting application u/s.5, and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.

न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1991 पेज 440 में पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्वान्त का हवाला दिया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है-

(c) Limitation Act, Section 3 – Order passed behind the back of the petitioner and without notice to him – Revision is not barred by limitation.

चुंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया आलौच्य आदेश से रेस्पोडेंट संख्या 1 के हित प्रभावित होते है, ऐसी स्थिति में उसके हितों पर कुठारघात होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तानुसार मयाद का उपशमन किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है। परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। वे यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी

चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मागें। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए।

अब हम अपील में अपीलांट्स द्वारा वर्णित अन्य उजरात के विवेचन व बहस तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के बरूए गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं।

अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विनिश्चय के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया अर्थात अपीलांट गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। जहां तक अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में अपनाई गई विधिक प्रक्रिया का प्रश्न है, पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) को ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी भी निर्णय (नामांतरकरण) में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि पाये जाने पर उसे प्रथम अपील सुनने का पूर्ण अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत नराणा के नामांतरकरण संख्या 143 निर्णय दिनांक 23.02.1982 व पश्चात्वर्ती नामांतरकरण संख्या 311 दिनांक 10.03.2015 को निरस्त कर तहसीलदार, देवगढ़ को प्रतिप्रेषित कर रेस्पोडेंट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नियमानुसार नामांतरकरण दर्ज करने हेतु निर्देशत किया गया है, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में कोई त्रुटि कारित की है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त उजरात/आक्षेप निराधार होकर स्वीकार्य योग्य नहीं है।

जहां तक गुणावगुण पर प्रकरण पर विवेचन किये जाने का प्रश्न है, यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश में अंकित विनिश्चय का पूर्णतया समर्थन करता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर नामांतरकरण संख्या 143 निर्णय दिनांक 23.02.1982 व पश्चात्वर्ती नामांतरकरण संख्या 311 दिनांक 10.03.2015 निरस्त कर रेस्पोडेंट संख्या 1 का नाम उक्त

नामांतरकरण में दर्ज किया जाने की दाद चाही गई थी, जो विधि अनुकुल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2022 को पारित किया, जिसमें यह न्यायालय कोई त्रुटि नहीं पाता है। **परिणामतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला राजसमंद का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2022 को यथावत रखा जाता है।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर